रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-220945
CG-DL-E-08082020-220945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2336] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942
No. 2336] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SRAVANA 15, 1942

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

अधिसूचना का परिशिष्ट

का.आ. 2635(अ).—जबकि दिनांक 07 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 06 जुलाई, 2020 का प्रकाशित अधिसूचना का. आ. 2268 (अ) द्वारा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने उक्त अधिसूचना द्वारा ग्लाइफोसेट के उपयोग पर निर्बंधन लगाने के लिए ग्लाइसोफेट का उपयोग केवल नाशीजीव नियंत्रण आपरेटर के माध्यम से करने के लिए एक मसौदा आदेश जारी किया है।

जबकि, केंद्र सरकार द्वारा विचार हेतु तीस दिनों की उपर्युक्त अवधि समाप्ति से पहले उक्त मसौदा आदेश के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबकि, केंद्र सरकार ने विभिन्न कीटनाशक संघों और कंपनियों से प्राप्त किए गए प्रतिवेदनों जिसमें आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने के लिए तीस दिन की अवधि का विस्तार नब्बे दिन करने के लिए आग्रह का संज्ञान लिया गया;

अब, इसलिए, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 के साथ पठित धारा 28 और धारा 36 की उप धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. दिनांक 07 जुलाई 2020 का. आ. 2268 (अ) के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि को नब्बे दिनों की अवधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

2. अन्य नियम और शर्तें 07 जुलाई, 2020 की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार अपरिवर्तित रहेंगी।

[फा.सं.13035/19/2019-पीपी-I]

अतीश चन्द्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

Addendum to Notification

S.O. 2635(E).—Whereas vide notification number S.O. 2268(E) dated 6th July, 2020 published in the Gazette of India, extraordinary, part-II, section-3, sub-section (ii) on 7th July, 2020, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare issued a draft order to restrict the use of Glyphosate through Pest Control Operators.

Whereas, the objections or suggestions were invited from any person in respect of the said draft Order before the expiry of the aforesaid period of thirty days for consideration by the Central Government;

And whereas, the Central Government has considered the representations received from various pesticide associations for extension of period for submission of objection and suggestion from thirty days to ninety days;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 27 read with section 28 and sub-section (1) of section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) and in partial modifications of the said notifications to the extent specifically provided herein, the Central Government hereby makes the following order, namely:-

1. The period of thirty days to be substituted by a period of ninety days from the date of publication of Notification No. S.O. 2268 (E) dated 7th July, 2020.

2. Other terms and conditions of the aforesaid notification dated 7th July, 2020, shall remain unchanged.

[F. No. 13035/19/2019-PP-I]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 15:33:01 +05'30'